

पंचायत आम निर्वाचन- 2021
अति महत्वपूर्ण



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

संख्या-प0नि0 30-137/2021
प्रेषक,

3617

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-जिला
निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
लखीसराय।

पटना, दिनांक-09.09.21

विषय :- पंचायत आम निर्वाचन, 2021 संशोधित मतदान केन्द्रों पर आयोग का अनुमोदन के संबंध में।
प्रसंग:- आपका पत्रांक-879/प0रा0, दिनांक-03.09.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र से प्राप्त संशोधित मतदान केन्द्रों के गठन के प्रस्ताव की जाँच के पश्चात् बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-26 के अन्तर्गत स्तंभ-5 में अंकित मतदान केन्द्रों की संख्या पर राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन संसूचित किया जाता है।

क्र0सं 0	प्रखंड का नाम	संशोधित मतदान केन्द्रों की संख्या	सहायक मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	कुल मतदान केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4	5
1	चानन	1	0	1
2	सूर्यगढ़ा	1	0	1
	कुल	2	0	2

2. मतदान केन्द्रों की सूची बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-27 के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी हेतु नियम-8 के उप नियम (1) में विहित रीति से प्रकाशित की जाए तथा उसकी सूचना आयोग को दी जाए।

विश्वासभाजन

सचिव।

ज्ञापांक-3617/-

पटना, दिनांक-09.09.21/-

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक-3617/-

पटना, दिनांक-09.09.21/-

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक-3617/-

पटना, दिनांक-09.09.21/-

प्रतिलिपि:- आई.टी. मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि संशोधित मतदान केन्द्रों की सूची को आयोग के वेबसाईट पर अपलोड करे।

सचिव।

आयोग के अनुमोदन हेतु भेजी जाने वाली संशोधित मतदान केंद्रों की सूची

जिला - लखीसराय

प्रखंड - धानग

ग्राम पंचायत - खुदगार

पूर्व अनुमोदित मतदान केंद्र की संख्या	पूर्व अनुमोदित मतदान केंद्र का नाम एवं स्थल	संशोधन हेतु प्रस्तावित मतदान केंद्र का नाम एवं स्थल	संशोधित का कारण / औचित्य
1	2	3	4
5	पंचायत भवन, बंशीपुर	देवत गोदान, बंशीपुर	भूति-दिवद
मतदान केंद्र का विस्तार (प्रावन्धिकेत्र संख्या)	मतदाता सूची के आधार पर कुल मतदाताओं की संख्या (क्र०... से ... तक)	भवन सरकारी / अर्द्ध सरकारी है अथवा नहीं	भवन में कुल कमरों की संख्या
5	6	7	8
5. बंशीपुर	01 से 814 तक (कुल मतदाता 734)	सरकारी	1
मतदान केंद्र तक पहुँचने के लिए मतदाता द्वारा लय की जाने वाली अधिकतम दूरी	प्रवेश एवं निकास की अलग अलग व्यवस्था है अथवा नहीं	मतदान केंद्र पर पहुँचने एवं मत देन हेतु कमखोर वर्ग के लोग निर्भय होकर मतदान कर सकते हैं अथवा नहीं	अभिमुखित
9	10	11	12
1 कि०मी०	हाँ	हाँ	

प्रमाणित किया जाता है कि मतदान केंद्रों का चयन आयोग के दिशा निर्देशों के आलोक में किया गया है। सभी मतदान केंद्र पंचायत क्षेत्र में अवस्थित हैं तथा कोई मतदान केंद्र निजी अथवा धार्मिक स्थल पर स्थापित नहीं किया गया है। मतदान केंद्र वर्तमान मुख्या के घर से 100 मीटर के अंदर स्थापित नहीं है। चयनित मतदान केंद्र की स्थापना उक्त क्षेत्र में सरकारी / अर्द्ध सरकारी भवन उपलब्ध नहीं रहने पर ही की गई है।

02/09/21
F.A.
LICR

08/09/21
LICR

08/09/21
LICR

जिला निवाचन पदाधिकारी (पंचायत)
-सह-

जिला मजिस्ट्रेट, लखीसराय।

पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र की संख्या	पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधन हेतु प्रस्तावित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधन का कारण / औचित्य
1	2	3	4
139	गौरी शंकर उच्च विद्यालय कटेहर, उत्तरी भाग (कटेहर)	प्राथमिक विद्यालय सुंदरपुर, विन्ड टोली (सुंदरपुर)	गौरी शंकर उच्च विद्यालय कटेहर, उत्तरी भाग के साथ ही अधिकांश मतदाता नगर परिषद में सम्मिलित हो चुके हैं। शेष मतदाता हेतु संशोधित वार्ड में अवस्थित प्राथमिक विद्यालय सुंदरपुर, विन्ड टोली के केन्द्र बनाया गया है।
मतदान केन्द्र का विस्तार (प्रा.नि.क्षेत्र संख्या.....)	मतदाता सूची के आधार पर कुल मतदाताओं की संख्या (क..... से..... तक)	नव नगर/अर्द्धनगर/अर्द्धनगर है अथवा नहीं	भवन में कुल कमरों की संख्या
5	6	7	8
14	1-225	हाँ	2
मतदान केन्द्र तक पहुँचने के लिए मतदाता द्वारा तय की जाने वाली अधिकतम दूरी	प्रदेश एवं विकास की अलग अलग व्यवस्था है अथवा नहीं	मतदान केन्द्र पर पहुँचने एवं मत देने हेतु कमजोर वर्ग के लोग निर्यय होकर मतदान कर सकते हैं अथवा नहीं	अभियुक्ति
9	10	11	12
0.5	हाँ	हाँ	

प्रस्तावित किया जाता है कि मतदान केन्द्रों का वयम आयोग के दिशा निर्देशों के आलोक में किया गया है। सभी मतदान केन्द्र पंचायत क्षेत्र में अवस्थित हैं तथा कोई मतदान केन्द्र निजी अथवा धार्मिक स्थल पर स्थापित नहीं किया गया है। चालित मतदान केन्द्र की स्थापना उक्त क्षेत्र में सरकारी/अर्द्धसरकारी भवन में प्रस्तावित नहीं रहने पर ही की गई है।

22/9/21
H.M.

22/9/21
H.M.

जिला निवाचन पदाधिकारी (पंचायत)
-सह-
जिला पदाधिकारी,
लखीसराय।